प्रश्न सं. [क्र. 102]

परि.-82 - 01

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1/1/0026/2022-ESTB-FWAD

भोपाल, दिनांक 12/07/2022

प्रति,

श्री ए.के. राठौर
उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
ज़िला कटनी

विषय:- कारण बताओ सूचना पत्र

जिला स्थानांतरण बोर्ड कटनी के अनुमोदन अनुसार आपके आदेश क्रमांक/स्था./जिला स्तर/व.कृ.वि.अ./2021-22/22, दिनांक 07.08.2021 द्वारा श्रीमती सीमा चौधरी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का स्थानांतरण विकासखंड कटनी से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड विजयराधौगढ़, जिला कटनी के अधीन किया गया था। किन्तु श्रीमती चौधरी द्वारा कार्यभार ग्रहण नही किया गया तत्पश्चात प्रभारी मंत्री जिला कटनी के पत्र क्रमांक 2833, दिनांक 25.09.2021 एवं श्रीमती सीमा चौधरी के आवेदन दिनांक 11.10.2021 के तारतम्य में प्रशासनिक प्रस्ताव पर कलेक्टर जिला कटनी व प्रभारी मंत्री जिला कटनी के अनुमोदन उपरांत आपने अपने आदेश क्रमांक/स्था./स्थानां/जिला स्तर/ ग्रा.कृ.वि.अ./2021-22/2200, दिनांक 28.01.2022 द्वारा श्रीमती सीमा चौधरी के स्थानांतरण में संशोधन किया गया है।

2/ उपरोक्त संशोधन में अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार श्रीमती सीमा चौधरी द्वारा वांछित मुख्यालय चाका विकासखंड कटनी पर नही किया जाकर विकासखंड कटनी में पिपरौध मुख्यालय पर किया गया। किन्तु स्थानांतरण पर प्रतिबंध लग जाने के कारण आपको उक्त प्रकरण शासन द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 की कंडिका- 50 के प्रावधानानुसार प्रकरण संचालनालय को भेजा जाना चाहिये था और संचालनालय की अनुमति के पश्चात् ही आदेश जारी किया जाना था, किन्तु आपके द्वारा ऐसा नही किया गया। इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम- 3 के उप नियम (2) (दो) के तहत दोषी बना लिया है।

3/ अत: उक्त कृत्य हेतु क्यों न म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) के नियम-1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत आपकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जावे। इस संबंध में अपना बचाव उत्तर पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12.7.2022

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृष्ठा.क्र. 1/1/0026/2022-ESTB-FWAD भोपाल, दिनांक 12/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल
2. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

परिशिष्ट - 02

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल दिनांक02 /12/2022

क्रमांक 1/1/20/0009/2022-ESTB-FWAD :: कार्यालय संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्र./स्था.-3/शिका./2022-23/1975 दिनांक 13.10.2022 थाना कोतवाली जिला शिवपुरी के अनुसार श्री अशोक राठौर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी को प्रकरण क्र. 1580/15 धारा 294,352,353,506(बी) भादवि एवं 3(1)10, 3(1)7 एस.सी.एस.टी. एक्ट में दिनांक 18.09.2022 को अपरान्ह 4:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

2/ कार्यालय अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी म.प्र. के पत्र क्र./2932/वारण्ट/2022 शिवपुरी दिनांक 24.09.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 19.09.2022 को दोपहर 2:15 बजे पर श्री राठौर को जेल दाखिल किया गया एवं दिनांक 20.09.2022 को सांय 6:10 पर जमानत पर रिहा किया गया।

3/ अतः राज्य शासन एतद द्वारा म.प्र. सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के भाग-4 निलबंन नियम-9 "क" के अनुसार श्री अशोक राठौर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय संयुक्त संचालक जबलपुर कार्यालय रहेगा। निलंबन अवधि में श्री राठौर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
02.12.2022
(बबीता बमुनिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. 1/1/20/0009/2022-ESTB-FWAD भोपाल दिनांक02 / 12 / 2022

प्रतिलिपि–

1– विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
2– स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
3- आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश
4- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल
5- कलेक्टर, जिला- कटनी मध्यप्रदेश
6- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग जबलपुर
7- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कटनी मध्यप्रदेश
8- परियोजना संचालक आत्मा समिति, कटनी मध्यप्रदेश
9- प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कटनी मध्यप्रदेश
10- संबंधित अधिकारी...............

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02.12.2022
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास वि.
मंत्रालय भोपाल